भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 233
21 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई का कार्यान्वयन

233. **श्री चन्देश्वर प्रसाद:**
श्री रमेश बिधूड़ी:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री जी. सेल्वम:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और योजना के तहत लाभार्थियों के ओपीडी उपचार और अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना व्यय किया गया है;

(ग) देश में योजना के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा आवश्यक कदम उठाए गए हैं और योजना को लागू करते समय सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;

(घ) उक्त योजना के तहत रोगियों को चिकित्सा सुविधा संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के कई परिवारों को एबी- पीएमजेएवाई के तहत शामिल नहीं किया गया है, जिससे वे योजना के लाभ से वंचित हैं और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार**)**

(क) से (ङ): आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम है जिसका उद्देश्य 12 करोड़ परिवारों को मध्यम

और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या अस्पताल-भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रु. का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। एबी-पीएमजेएवाई को कार्यान्वित कर रहे अनेक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वयं की लागत पर लाभार्थी आधार को लगभग 15.5 करोड़ परिवारों तक बढ़ा दिया है। यह स्कीम दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। दिनांक 16 जुलाई, 2023 तक, लगभग 24.02 करोड़ आयुष्मान कार्ड सृजित किए गए हैं और स्कीम के तहत 66,039 करोड़ रु. के कुल 5.38 करोड़ अस्पताल भर्ती को अधिकृत किया गया है। इस स्कीम के कार्यान्वयन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए व्यय के साथ-साथ एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। इसमें अस्पताल में भर्ती (आईपीडी) सेवाएं और जिसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले 3 दिन तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिन तक का व्यय शामिल है।

एबी-पीएमजेएवाई के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं क्योंकि यह स्कीम स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए लाभार्थियों की मांग के आधार पर संचालित होती है। इस स्कीम को कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पात्र लाभार्थी स्कीम के शुरुआत के पहले दिन से ही स्कीम के तहत सेवाओं के हकदार हैं।

इस स्कीम के तहत प्रतिदिन लगभग 45,000 अस्पताल प्रवेश अधिकृत हैं। 'आपके द्वार आयुष्मान', एक डोर-टू-डोर अभियान है, जिसमें लाभार्थी जुटाने और कार्ड सृजन के लिए फ्रंटलाइन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं, पंचायती राज कार्मिकों और ग्राम स्तर के एजेंटों जैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है। लाभार्थी जुटाने और आईईसी से संबंधित कार्यकलापों के लिए आशा कार्यकर्ताओं, पंचायती राज के तहत फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूहों की सहायता मांगी जाती है। इसके परिणामस्वरूप 14.7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन हुआ है, जिनमें से अप्रैल 2022 से 10 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड सृजित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने एसईसीसी लाभार्थी डेटाबेस को समृद्ध करने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाले विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ समन्वय किया है। एनएचए ने कार्ड सृजन को आसान करने के लिए लाभार्थी पहचान मंच (बीआईएस 2.0) को नया रूप दिया है। कार्ड सृजन कार्यकलाप को बढ़ाने के लिए एक पीएम-जेएवाई मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किया गया है और इसे प्रयोग किया गया है।

एसईसीसी डेटाबेस से पहचान किए गए लाभार्थी परिवारों के लिए पात्रता मानदंड का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है कि वे बचे हुए (अप्रमाणित) एसईसीसी परिवारों हेतु टैगिंग के लिए गैर-एसईसीसी लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग कर सकते है। तदनुसार, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अज्ञात एसईसीसी परिवारों और विस्तारित लाभार्थी आधार के लिए गरीब

और कमजोर परिवारों का डेटाबेस साझा किया है। इन डेटाबेस को कार्ड सृजन के लिए एनएचए की आईटी प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। इस स्कीम के तहत उपचार का लाभ उठाने की प्रक्रिया अनुलग्नक- IV में दी गई है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) एक पात्रता-आधारित योजना है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के नामांकन या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी कैशलेस उपचार लाभ प्राप्त करने के लिए सीधे देश भर में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल (सार्वजनिक या निजी) में जा सकता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कीम के तहत लाभार्थियों की पात्रता और अधिकारों के बारे में जागरुकता फैलाने और लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और आउटरीच कार्यनीति का पालन किया जाता है जिसमें पारंपरिक मीडिया, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटक, डिजिटल डिस्पले और दूरदर्शन प्रशंसापत्र शामिल हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, आशाकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम स्तर के उद्यमियों, जो जमीनी स्तर पर जन जागरुकता पैदा करने में महत्वपूर्ण हैं, को भी शामिल किया है।

अनुलग्नक-I

स्कीम के कार्यान्वयन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित किए गए आयुष्मान कार्ड	अधिकृत अस्पताल में प्रवेश	
		संख्या	राशि
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40,847	2,277	₹ 69,459,143
आंध्र प्रदेश	12,587,880	4,451,214	₹ 115,731,498,523
अरुणाचल प्रदेश	93,019	3,503	₹ 66,988,416
असम	15,917,052	736,611	₹ 11,664,238,261
बिहार	8,009,993	675,714	₹ 7,029,303,633
चंडीगढ़	155,010	32,248	₹ 257,026,281
छत्तीसगढ़	19,782,432	4,007,970	₹ 43,745,723,942
दादरा और नगर हवेली	301,967	81,918	₹ 504,549,683
दमन और दीव	129,443	24,444	₹ 184,845,584
गोवा	28,349	10,943	₹ 344,570,780
गुजरात	17,500,888	4,119,371	₹ 85,193,588,523
हरियाणा	8,502,991	853,216	₹ 11,935,687,749
हिमाचल प्रदेश	1,135,102	213,166	₹ 2,643,986,840
जम्मू और कश्मीर	8,256,279	896,265	₹ 15,022,219,920
झारखंड	11,183,509	1,673,359	₹ 18,997,311,518
कर्नाटक	14,082,463	5,462,667	₹ 37,014,664,307
केरल	7,236,306	5,186,708	₹ 51,248,805,329
लद्दाख	134,286	7,562	₹ 117,823,795
लक्षद्वीप	26,157	634	₹ 18,988,695
मध्य प्रदेश	36,111,311	2,923,330	₹ 45,679,642,342
महाराष्ट्र	9,733,335	833,879	₹ 21,647,976,820
मणिपुर	488,801	103,744	₹ 1,383,673,284
मेघालय	1,812,935	636,385	₹ 5,514,846,149
मिजोरम	437,808	97,650	₹ 1,126,735,410
नागालैंड	589,112	43,758	₹ 814,249,968
पुदुचेरी	420,637	50,723	₹ 392,090,792
पंजाब	7,839,044	1,599,735	₹ 19,564,010,033
राजस्थान	10,910,534	5,741,363	₹ 33,090,364,262
सिक्किम	54,676	13,007	₹ 116,875,780
तमिलनाडु	4,046,027	9,049,081	₹ 55,761,868,117
तेलंगाना	6,456,575	890,317	₹ 24,967,330,599
त्रिपुरा	1,331,935	239,294	₹ 2,082,095,979
उत्तर प्रदेश	29,762,516	2,336,507	₹ 31,205,416,697
उत्तराखंड	5,140,811	814,849	₹ 15,259,619,178

नोट: ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एबी-पीएमजेएवाई को लागू नहीं कर रहे हैं।

अनुलग्नक-II

विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए व्यय के साथ-साथ एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभान्वित **व्यक्तियों की संख्या का राज्य/**संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्त वर्ष 2020-2021**		**वित्त वर्ष 2021-2022**		**वित्त वर्ष 2022-2023**	
	संख्या	**राशि (रुपये में)**	**संख्या**	**राशि (रुपये में)**	**संख्या**	**राशि (रुपये में)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	340	10,914,640	832	22,908,637	704	26,489,462
आंध्र प्रदेश	692,243	22,090,601,465	1,106,905	26,229,454,261	1,418,409	34,227,987,210
अरुणाचल प्रदेश	84	2,241,506	187	3,701,320	1,011	18,775,843
असम	92,699	1,416,097,471	175,803	2,685,468,199	240,388	3,923,814,247
बिहार	88,556	803,396,842	116,116	1,374,492,201	214,373	2,327,085,914
चंडीगढ़	5,374	33,207,986	8,349	55,487,611	10,412	95,500,039
छत्तीसगढ़	497,072	5,308,469,783	896,901	9,691,411,075	1,292,988	15,046,435,357
दादरा और नगर हवेली	14,820	89,951,801	16,113	105,476,316	16,380	114,122,502
दमन और दीव	4,123	27,286,670	4,509	43,419,458	5,118	50,648,223
गोवा	139	2,872,856	167	3,800,809	409	7,918,871
गुजरात	825,698	11,389,684,479	566,753	16,206,516,455	916,169	26,478,983,389
हरियाणा	138,773	1,582,411,868	185,239	2,422,825,064	284,160	4,258,702,276
हिमाचल प्रदेश	29,211	359,943,853	47,366	711,266,349	63,085	809,365,305
जम्मू और कश्मीर	68,052	671,488,645	251,029	4,542,552,301	385,833	7,174,193,176
झारखंड	298,070	2,988,648,772	326,557	4,461,678,117	412,463	4,997,583,148
कर्नाटक	670,460	5,838,145,498	1,127,554	7,534,757,850	2,101,312	10,407,352,331
केरल	1,043,525	7,684,002,623	1,698,278	15,703,561,288	1,224,171	17,044,928,567
लद्दाख			509	6,818,858	5,184	84,565,458
लक्षद्वीप			66	2,040,520	424	13,161,345
मध्य प्रदेश	383,962	5,492,250,537	715,042	11,700,971,403	1,173,874	19,389,093,139
महाराष्ट्र	150,589	4,093,116,147	136,648	3,559,980,320	172,236	4,455,195,503
मणिपुर	16,360	166,041,429	24,062	309,642,581	38,930	539,675,029
मेघालय	123,734	955,785,201	145,303	1,176,178,157	185,407	1,810,382,164
मिजोरम	16,983	210,535,641	13,860	176,995,078	23,319	314,522,378
नागालैंड	7,357	107,694,700	5,653	112,486,224	12,483	269,303,640
पुदुचेरी	2,587	10,962,334	11,924	75,052,560	24,907	204,106,618
पंजाब	422,814	4,734,170,676	535,475	6,689,976,806	300,023	3,821,386,440
राजस्थान	410,463	2,420,966,577	1,226,774	8,270,329,226	3,178,441	17,010,164,586
सिक्किम	2,022	16,278,553	2,872	19,211,267	4,833	43,903,918
तमिलनाडु	1,894,990	8,642,942,295	4,494,358	16,296,759,506	1,289,881	13,490,439,160
तेलंगाना			272,384	7,724,325,020	456,050	12,673,319,880
त्रिपुरा	30,099	241,114,560	46,049	406,506,314	76,574	792,188,668
उत्तर प्रदेश	318,684	3,025,032,992	501,501	5,778,366,341	845,042	12,912,649,393
उत्तराखंड	121,595	1,737,181,478	181,965	4,009,854,962	261,167	5,954,550,646

अनुलग्नक III

एसईसीसी 2011 के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई **के तहत पात्रता के लिए मानदंडों की विस्तृत सूची**

स्वत: रूप से शामिल:

1. आश्रय विहीन परिवार
2. निराश्रित / भिक्षा पर रहने वाले
3. हाथ से मैला ढोने वाले परिवार
4. आदिम जनजातीय समूह
5. कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर

ग्रामीण क्षेत्र में वंचन मानदंड:

डी1: कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा
डी2: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं
डी3: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच किसी वयस्क पुरुष सदस्य बिना महिला नेतृत्व वाले परिवार
डी4: दिव्यांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं
डी5: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार
डी7: भूमिहीन परिवार जो हाथ से नैमित्तिक श्रम द्वारा अपनी आय का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं

शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक मानदंड:

1) कूड़ा बीनने वाला
2) भिखारी
3) घरेलू कर्मी
4) स्ट्रीट वेंडर / मोची / हॉकर / सड़कों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता
5) निर्माण श्रमिक/प्लंबर/मेसन/श्रमिक/पेंटर/वेल्डर/सुरक्षा गार्ड/कुली और सिर पर भार ढ़ोने वाले अन्य श्रमिक
6) स्वीपर / सफाई कर्मचारी / माली
7) घर आधारित कर्मी / कारीगर / हस्तशिल्प कार्यकर्ता / दर्जी
8) परिवहन कर्मी / ड्राइवर / कंडक्टर / ड्राइवर और कंडक्टर के हेल्पर/ वाहन चालक / रिक्शा चालक
9) दुकान में कार्य करने वाले कर्मी/ सहायक / छोटे प्रतिष्ठान में चपरासी/हेल्पर/ डिलीवरी सहायक / परिचर / वेटर
10) इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक / असेंबलर / मरम्मत करने वाले कर्मी
11) धोबी / चौकीदार

- कोई मरीज सूचीबद्ध अस्पताल में समर्पित पीएम-जेएवाई कियोस्क पर जाता है और अपना आयुष्मान कार्ड प्रस्तुत करता है। यदि उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो प्रधान मंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएम) एनएचए की लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) का उपयोग करके रोगी की पहचान और पात्रता को सत्यापित करेगा और रोगी के लिए एक आयुष्मान कार्ड तैयार करेगा।

- लाभार्थी की चिकित्सीय स्थिति के आधार पर, पैनल में शामिल अस्पताल पूर्व-प्राधिकार के लिए अनुरोध करता है।

- पूर्व-प्राधिकार अनुमोदित हो जाने पर, लाभार्थी अनुमोदित पैकेज के अनुसार उपचार कराता है।

- उपचार पूरा हो जाने पर, लाभार्थी को छुट्टी दे दी जाती है। डिस्चार्ज के समय लाभार्थी को 15 दिनों की दवा उपलब्ध करायी जाती है।

- पूरी प्रक्रिया कैशलेस और पेपरलेस है।

- विस्तृत प्रक्रिया प्रवाह नीचे देखा जा सकता है:

https://www.pmjay.gov.in/sites/default/files/2018-09/PM-JAY%20Process%20Flow%20at%20Empanelled%20Hospitals.pdf

- पीएमजेएवाई के तहत, सुस्पष्ट स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के आधार पर लाभार्थियों को पैनलबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं (ईएचसीपी) द्वारा उपचार प्रदान किया जाता है। एचबीपी में उपचार से जुड़ी सभी लागतों में अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च भी शामिल हैं। पीएमजेएवाई के तहत एचबीपी की विस्तृत सूची नीचे दी गई है:

https://pmjay.gov.in/sites/default/files/2022-04/HBP%202022%20..pdf

******